



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122023-250622  
CG-DL-E-13122023-250622

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5059]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945

No. 5059]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5288(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काण्डला(गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एल०पी०जी०पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई०एच०बी०लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिस के भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उस में उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री राकेश कुमार, सक्षम प्राधिकारी आई०एच०बी०लिमिटेड, काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी०पाइपलाइन परियोजना (के०जी०पी०एल०), प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

जिला-प्रयागराज		राज्य-उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर-	एयर-	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
फूलपुर	चक जयन्ती	104	00	02	15
		105	00	04	20

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1भाग-1/ई-45874]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2023

**S.O. 5288(E).**— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the petroleum product in the state of Uttar Pradesh, Pipeline should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri Rakesh Kumar, Competent Authority, IHB Limited, Kandla- Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Prayagraj(UP) within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub- section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

## SCHEDULE

District: Prayagraj		State: Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.	-Are	- Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Phulpur	Chak Jayanti	104	00	02	15
		105	00	04	20

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-1Part-1/E-45874]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.